भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-342

उत्तर देने की तारीख-22/07/2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन

342 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए भाषा में अर्हता प्राप्त शिक्षकों और आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता सहित राज्यों तथा विद्यालयों की तैयारियों का आकलन किया है;

(ख) क्या कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाने से पूर्व ऐसा आकलन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावित किए बिना इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाजनक स्थिति प्रदान करने और अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 4.13 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों तथा संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र का कर्यान्वयन जारी रहेगा। तथापि, त्रिभाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा अधिरोपित नहीं की जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं विद्यार्थियों की पसंद होंगी, बशर्ते कि इन तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो विद्यार्थी पढ़ रहे तीन भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर

सकते हैं, बशर्ते कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अंत तक वे तीन भाषाओं में (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) मूलभूत दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।

एनईपी 2020 के अनुपालन में, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 विकसित की गई है जो भारत में भाषा शिक्षा पर एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। एनसीएफ का उद्देश्य एक छात्र को कम से कम तीन भाषाओं में एक स्वतंत्र वक्ता, पाठक और लेखक बनाना है, जिन्हें आर1, आर2 और आर3 के रूप में दर्शाया गया है। आर1 पहली भाषा है जिसमें छात्र साक्षरता सीखते हैं, आदर्श रूप से उनकी मातृभाषा या, यदि संभव न हो, तो राज्य की भाषा, जो एक परिचित भाषा होगी, जिसमें 8 वर्ष की आयु तक प्रवीणता अपेक्षित है, आर2, आर1 से अलग दूसरी भाषा है, जिसमें 11 वर्ष की आयु तक प्रवीणता प्राप्त की जानी है और आर3, आर1 और आर2 से अलग तीसरी भाषा है जिसमें 14 वर्ष की आयु प्रवीणता प्राप्त की जानी है। एनसीएफ-एसई 2023, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता है:

i. बुनियादी और प्रारंभिक चरण में दो भाषाएँ - जिनमें से एक भारत की मूल भाषा है।
ii. मिडिल और माध्यमिक चरण (कक्षा 9 और 10) पर तीन भाषाएँ - जिनमें से दो भारत की अपनी भाषाएँ हैं।
iii. माध्यमिक चरण (कक्षा 11 और 12) पर दो भाषाएँ - जिनमें से एक भारत की मूल भाषा हो।

एनईपी, 2020 के अनुच्छेद 4.12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि चूंकि शोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु में भाषाओं को अत्यंत तेजी से सीखते हैं और बहुभाषावाद छोटे विद्यार्थियों के लिए बड़ा संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को मूलभूत चरण से ही विभिन्न भाषाओं (लेकिन मातृभाषा पर विशेष बल देते हुए) से परिचित कराया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आगे कहा गया है कि सभी भाषाओं को मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें भरपूर सहभागितापूर्ण संवाद होंगे, प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में प्रारंभिक पठन और बाद में लेखन, तथा कक्षा 3 और उससे आगे अन्य भाषाओं में पठन और लेखन कौशल विकसित किए जाएंगे।

एनईपी, 2020 में यह भी प्रावधान है कि देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से राज्य एक-दूसरे से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए, संबंधित राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के पालन को सुनिश्चित

करने के लिए और देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं के शिक्षण और अधिगम तथा भाषा अधिगम को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

भारत सरकार नीति निर्माण और पाठ्यक्रम विकास हेतु विशेषज्ञों, भाषाविदों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं एवं कार्यान्वयनकर्ताओं, कार्यरत शिक्षकों एवं छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, अभिभावकों, गैर-सरकारी संगठनों और (छात्रों सहित) से नियमित रूप से परामर्श करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के निर्माण से पहले, बड़ी संख्या में हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से और डिजिटल माध्यमों से भी परामर्श किया गया था। सभी क्षेत्रों/राज्यों से परामर्श किया गया और नीति निर्माण हेतु विभिन्न स्कूल प्रणालियों की राय और कार्यप्रणाली को भी ध्यान में रखा गया।

इसके अतिरिक्त, चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के तहत एक विषय है, इसलिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारें एनईपी, 2020 की भावना और सिफारिशों के अनुसार, त्रिभाषा नीति को लागू करने के तौर-तरीकों पर निर्णय ले सकती हैं। नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर बल देती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकताओं, भाषाई विविधता और कार्यान्वयन व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए लचीले तरीके से त्रिभाषा सूत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

*****